


अप  
हयम  
में जारी

23.6.12 पत्रावली राज्यालय लोक अदालत आर्ग्युमेंट  
 में मे अहल सेवा केन्द्र - ग्रा. जे. लोखवा से  
 पेश हुई। पत्रकापन को जारी लोक अदालत  
 नोटिफिकेशन काड शामिल शामिल मिलान किये गये।  
 वरील आर्ग्युमेंट उपस्थित / विद्यमान सि. 7 उप-।  
 शेष विद्यमान कावपुत्र सरकारी अड्डे  
 वरील आर्ग्युमेंट की ओर से आर्ग्युमेंट का पेश  
 कर निवेदन किया गया, कि माननीय राज्यालय  
 अपील अधिकारी काडपुत्र के निर्णय दिनांक  
 16.01.12 की पालना से संशोधित आवेदन  
 पेश किया गया था। जो उक्त दिनांक  
 पत्रावली के लान संशोधित किया जाता  
 था। लेकिन न्यायालय द्वारा उसे अलग से  
 दर्ज किया गया। उक्त आवेदन को हल  
 पत्रावली के लान संशोधित किया जाये।  
 इतने पत्रावली व अलग से दर्ज आवेदन  
 का अलग-अलग किया। धीरे-धीरे जाया कि  
 माननीय न्यायालय RAA काडपुत्र द्वारा अद्यत  
 निर्णय दिनांक 16.01.2012 के द्वारा रक नि.  
 182 व 182 के मध्य मध्य रास्ता को छोड़ते  
 हुए दोनो स्वतंत्रता की लीला से आवेदन  
 शेष के अलावा अड्डाग निर्धारित किया  
 गया। माननीय न्यायालय की आदेश की

  
 सहायक कलेक्टर  
 SDC तिखारी

पालना में शामिलता वही को केवल  
 संशोधित आवेदन ही वेदा विभा जाता थी।  
 लेकिन वही शामिलता ही पूरा आवेदन  
 ही नष्ट वेदा विभा गया। इस बात  
 आवेदन को अलग ले गये तब व  
 दवा विभा गया। दूसरे आवेदन लि. 96/12  
 भारत बनाप वातावरण को. से भी विभापी  
 पदकारन की तमकी पूर्ण हो रही  
 है। इस कारण का ही विषय - वस्तु को  
 प्रकाश को पूरा आवेदन लि. 65/16 गये  
 नम्बर 33/17 भारत बनाप वातावरण को  
 के लाभ समझ हमारे विभा जाता उचित  
 है जिसका वही शामिल वही शामिल व  
 स्वीकार की जाकर आवेदन लि. 96/12  
 को उक्त पूरा आवेदन के लाभ हमारे  
 विभा जाता है। उक्त आवेदन में पारित  
 आदेश की उक्ति आवेदन लि. 96/12 में  
 संशोधित की जावे/ विभापी वही की  
 गैर तैयारी शरीर तैयारी की गई/  
 तत्पश्चात वही शामिल वही आवेदन  
 पर कंठित कहल सुनी गई। दोनो  
 कहल वही शामिल वही ने वही विभा  
 की भागवत न्यायलय AAT वातावरण के  
 आवेदनवाए तैयारी (विभापी) की विभापी  
 है जो तैयारी विभापी की विभापी के

सहायक कलेक्टर  
 SDC विभापी

अनुसार प्राप्तिगण का आवेदन स्वीकार किया जाते।

विद्यार्थी जि. 1 से 6 द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित किया गया, कि प्राप्तिगण द्वारा केवल पाठ विद्यार्थी रु. 1 से 6 की खर्चा संख्या 181 में से रास्ता छात्र को भेज दिया गया था, जबकि यह इस न्यायालय द्वारा प्राप्ति का आवेदन दिनांक 25.01.16 को स्वीकार कर, विद्यार्थी जि. 1 से 6 की ख. नि. 181 में रास्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि यह 6 विद्यार्थी जि. 1 से 6 द्वारा उक्त आवेदन को निरुद्ध प्राप्ति न्यायालय सचिव अपील आवेदक के माध्यम से सुनवाई कर दी गई। तबसे पर प्राप्ति न्यायालय द्वारा 04.12.16 को आवेदन पारित किया गया, कि ख. नि. 181 व 182 के मध्य प्राप्त रास्ता को दोहरे इस चंभ दोनो खर्चा की सीमाओं में आधी 2 अपील के अंतर का परीक्षण कर उक्त पत्र की सुधारी सुनवाई के बाद निर्णय पारित करें। विद्यार्थी दाखल में प्राप्तिगण द्वारा त्रुटिपूर्ण प्राप्ति का पेश किया गया है। प्राप्तिगण द्वारा विद्यार्थी जि. 1 से 6 की खर्चा नि. 181

सहायक कलेक्टर  
SDC सिन्धुदरी

ने लीक हुआ तो रास्ता था घ गंगा है  
 वह अग्नि पौके पर खाली नहीं है,  
 विद्यापी सं. 1 से 6 के मकान, घर झाड़ि  
 बने इस है, तथा पौके पर अग्नि खली  
 नहीं है इन कारण जामगीण का  
 आवेदन खारिज किया जावे।

विद्यापी सं. 7 से 10 ने अपने पचास  
 में उम्मेदवारों को भी जामगीण हरि  
 विद्यापी सं. 7 से 10 के लगे खली  
 सं. 182 में लीक हुआ तो रास्ता  
 था घ गंगा है, वह अग्नि पौके पर खाली  
 नहीं है। तथा विद्यापी सं. 7 से 10 के  
 मकान, घर, पारकोटे व ~~घर~~ झाड़ि  
 अग्नि बने इस है, तथा पौके पर अग्नि  
 खाली नहीं है। जैसी रिपोर्ट में जामगी  
 SRT जलाने के लिये पर रास्ता दिया  
 जाना ~~सं~~ संभव नहीं होने के कारण  
 जामगीण का आवेदन खारिज किया जावे।  
 हमने जामगीण यदील की बहन पर  
 जन को विद्यापी सं. 1 से 10 हरि  
 उल्लूक पचास, संलग्न ~~जामगीण~~ के  
 इलाक्यात संघ पौके रिपोर्ट का गम्भीरता

शुक्र सं.  
 के पारकोटे  
 पारकोटे  
 रास्ता घाटा.  
 सं.

सहायक कमिश्नर  
 SDC सिविल

पूर्वक अवलोकन किया गया। तथा दिल्ली के पारिषद में विवेचन किया गया।  
 तभी हमें पता चि आसीगण द्वारा अपने स्वतंत्ररी रवेत रच स. 179 ग्राह लेखाल की भूमि से जाने वाले एक अध्यापित कड़ीपी रास्ता की भूमि रखला लेखला 181 में से रास्ता आहा गया था।  
 आसीगण का आवेदक पूर्ण रूपसे कर, किसानों को व्यक्तिगत तौर पर कर, किसानों का कष्ट लेना के धारण नहीं होने पर, एकपक्षीय सुनवाई को हुए, आसीगण का आवेदक दिनांक 25.06.16 को लीकार कर, आसीगण को रच. नि. 181 में से रास्ता देने के आदेश. न्यायालय द्वारा कलक्टर एवं अपरकोट आधीवारी गुगुदायानी द्वारा पारित किये गये।  
 उक्त निर्णय पारित के एकपक्षीय किसानों को र. 1 से 6 द्वारा कियो कीय एक पक्षी इको से प्रभाव बना हुआ था। उक्त निर्णय से व्यापक लेकर किसानों लि. 1 से 6 द्वारा प्राणीय न्यायालय राजस्व अपील आधीवारी द्वारा में अपील पैरा की गई। जो अपील लि. 46/2016 पर पूर्ण रूपसे

सहायक कलेक्टर  
 SDC, सिविली

स्वालय  
प्रोग्राम  
स्वालय  
स्वालय

काउंटर स्टुडेंट्स अपीलेशन की अपील  
को दिनांक 16.11.18 (16 नवंबर 2018)  
को हकीकार कर, अपीलेशन की अपील  
को इत न्यायालय को इत रिमा-  
निडेंट के साथ प्रतिअपिल की  
गई, कि स्वयं संख्या 181 व 182  
के मध्य मकान राला को छोड़ते हुए  
लंबे दोनो स्वयं संख्या की लीडिंगों में  
आधी 2 महीने के अलाप का परीक्षण  
कर, स्टुडेंट्स कोले इए, निधि पाति  
विद्यार्थी वाले/ माननीय न्यायालय के आदेश  
की पाप्ता के हस्तगत अथवा पुनः  
दफ्तरी रजिस्टर निधा आकर, परकाएन  
को स्टुडेंट्स हेतु लपक निधा गया।  
विद्यार्थी क्र. 1 से 10 जरी आवेदन पत्र के  
मध्यो को हकीकार कर अवाक पैरा की  
आवेदन को स्वयं संख्या की निवेदन निधा  
गया। अथवा उल्लेखित निधा गयी, कि  
विद्यार्थी क्र. 1 से 10 के स्वयं संख्या क्र. 181  
व 182 के मध्य में विद्यार्थी के प्रकार  
को इतपादि को इए है, अथवा को के पर

महायक कलेक्टर  
SDC निम्नपरी,

खाली भूमि नहीं है यह एक मानने  
 प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि सर्व जे जामि  
 सिद्ध रखना क. 181 से साक्षात् नती  
 गमि, तो विद्यापी एम उक्त कालो के  
 कीच जे पक्का इते का मरत बना  
 दिया। तदा काट जे माननीप न्यायालय  
 छि राजस्व अधिकारी काउन्सिल हलि  
 अपने निर्णय से र. क. 181 व 182  
 के मध्य मरत बालो को छोड़ते इ. दोनो  
 खलान की सीमाओं से आधी 2 घूमि  
 के अन्तर्गत लेने कायदा सिद्धि किसे जो  
 के काट विद्यापी क. 7 से 10 से र. क.  
 182 के नीचे कीच कोटरी बना दी।  
 इसके अतिरिक्त होता है, कि विद्यापी गण  
 व्याज बूझकर धर्मिगण को राले नहीं  
 देने के लिए उक्त कार्य कर रहे हैं जो  
 आकस्मिक सिद्धांत के विपरीत है। एवं  
 माननीप न्यायालय R.A. काउन्सिल हलि की  
 पालित निर्णय से र. क. 181 व 182 के  
 मध्य मरत को छोड़ते इ. आधी 2 घूमि  
 दोनो खलान के लेते इ. साक्षात् निराले

सहायक कलेक्टर  
 SDC- सिन्धुघरी

साधन निर्देशित विभा 5007 था। जो  
 प्रांतीय आपादन के आदेशानुसार  
 तह-तहिकती द्वारा विवाहित व्यक्ति की  
 विशेष केंपी गई है। तबिले उल्लेखित  
 विभा गया है, कि उक्त तालिका के  
 किलावा अनुप को उजोई विभाजन  
 राला नहीं है। ऐसी ताल के आधी  
 का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।  
 एन विभागीय कावपुड गौरीक तादीस  
 के काफ़ केप के अनुपलित रहे है।  
 इतले सुतीत होता है, कि आधीगण के  
 आवेदन स्वीकार करने में अनुप को  
 विरुद्ध नहीं है, केवल मात्र उक्तका को  
 लका करने की विषय ले रला कर  
 रहे है। इत प्रकार आधी राला का  
 करने का आवेदनी है। इत प्रकार रजना  
 स. 181 में राले की लकार 40 गच्छ व  
 पौण्ड 3 गच्छ जानी 0-06 किला तथा  
 स. न. 182 में लकार 40 गच्छ व पौण्ड  
 3 गच्छ जानी 0-06 किला है। इस प्रकार  
 कुल 12 किला आधी राले में करती है।  
 उक्त प्रति की DCC दर 29980/- उरिदिथ।

सहायक कलेक्टर  
 SDG डिप्टी

21 इत प्रकार रास्ते में जा रही थी  
0-12 बीघा भूमि की राशि का कुल  
मुगलन प्राप्तिगण. वस को विप्रायी पत्र  
को भिजा जाया होता है

श्रीमान् प्राप्तिगण का आवेदन  
स्वीकार किया जाकर, नाम- लोलावा तहसील  
श्रीगढ़री की रकत रवसरा संख्या 179 रकबा  
27-01 बीघा भूमि से शुरू तक आवेदन  
है ~~का~~ इसी नाम की रवसरा संख्या 181 व  
182 के भूमि में से दोका रिपोर्ट के तहत  
गणने में अंग लाल (डेल लाल पेन लि) से  
दरमामे अनुसार 20 बीघा चौगु रास्ते निवासने  
की स्वीकृति सदान की जाती है। प्राप्तिगण धरि  
धर्म धर्म राशी विप्रायी स. 1 से 6 के रक. लि.  
181 रकबा 16-14 बीघा भूमि में से मुस्ताखित  
रकबा 0-06 बिघा भूमि के लिए - 17,988/-  
अपने सारा हप्पार नो नो ~~सिद्धि~~ डीपीपानी  
कापने व विप्रायी स. 7 से 10 (राधाराध, लक्ष्मणराध,  
कृष्णाराध (कृष्णराम) प्रियराम डोलसीराम व पातूदेवी  
परिन नेतसीराम) की रवसरा लि. 182 रकबा  
26-04 बीघा भूमि में से मुस्ताखित रकबा

महायक कलेक्टर  
SDC सिन्धुघरी

0/23/5

संवासे

0-06 खिल्वा ग्रामि के लिए राशी-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

आदेश आण्ड निर्मा 23/6/12 को मजसे प्राप्त  
 सुकपा गपा।  
 पत्रावली केवल सुनाए होए वाखिल पज्तर हो।

दिना  
 23/6/12  
 आण्ड निर्मा  
 206 निर्मा

आलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, गुडामालानी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)  
पीठासीन अधिकारी :- श्री नाथूसिंह राठौड़, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. 65 / 2016

प्रार्थीगण

1. भारमल पुत्र रामजी
  2. लाखा पुत्र रामजी
  3. जुगता पुत्र रामजी
  4. गोकला पुत्र रामजी
- जाति सुथार निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कानाराम पुत्र उदाराम
  2. दुर्गाराम पुत्र उदाराम
  3. चमूदेवी देवा उदाराम
  4. पेमाराम पुत्र घिमनाराम
  5. घेवर पुत्र रूपाराम
  6. प्रहलाद पुत्र रूपाराम
- जाति नाई निवासी लोलावा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार सिणधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010  
उपस्थित :-

1. श्री रिडमलराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

-: निर्णय :-

दिनांक :- 25.06.2016

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरा खातेदारी खेत राजस्व ग्राम लोलावा में खसरा संख्या 179 रकबा 27-01 बीघा किस्म बा.दो. का आया हुआ है। इसमें आने जाने हेतु कटान मार्ग नहीं है। मुख्य सड़क से मेरे पडौस के खेत खसरा संख्या 181 रकबा 16-14 बीघा में से चल रहे सरकारी रास्ते तक जाने का एक मात्र रास्ता है। इस रास्ते का उपयोग कई वर्षों से करता आ रहा हूँ। मुझ प्रार्थी की खातेदारी सरहद मौजा लोलावा के खेत खसरा संख्या 179 तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा लोलावा के खेत खसरा संख्या 181 में से संलग्न परिशिष्ट अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अपलिखित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामीलसुदा प्राप्त हुए। भूमि धारक तहसीलदार सिणधरी से रिपोर्ट मंगवाई गई। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर/कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़ा पेश हुई। तहसीलदार सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 181 रकबा 16-14 बीघा में से 182 के सेढे रास्ता चाहा है। मौके पर जहां से रास्ता चाहा गया है, वहां बीचों बीच विप्रार्थीगण का एक पक्की ईंटों से मकान बना हुआ है एवं मौके पर रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थीगण के उक्त खेत से कटाण तक पहुंचने का खसरा नम्बर 182 में से भी समान दूरी का विकल्प है। उक्त दोनों खसरों के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार सिणधरी द्वारा



सहायक कलेक्टर  
SDO गुडामालानी

परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए "लाल रंग मार्क" अनुसार विप्रार्थीगण के पक्का मकान बरंग "हरा" को छोड़ते हुए पक्के मकान के आगे होते हुए सरकारी सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के आराजी खेत खसरा संख्या 179 मौजा लोलावा में आने-जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 181 मौजा लोलावा में से 12 फीट चौड़ा 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थी को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड़, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुना के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिणधरी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थी को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों के अधीन ही प्रार्थी को नया 12 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने के आदेश आज दिनांक 25.06.2016 को राजस्व लोक अदालत शिविर/कोर्ट के मा ग्राम पंचायत मुख्यालय सड़ा में दिए जाते हैं। तहसीलदार गुडामालानी, बौद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फौसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2016 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।



25/6/16  
(नाथूसिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी, गुजमालानी  
SDO गुजमालानी